उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या : 13/34/90–का–1/1996

लखनऊ, दिनांक : 23 फरवरी, 1996

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996" से संबंधित अधिसूचना सं० 13/34/90–का–1 / 1996, दिनांक 23 फरवरी, 1996 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल जी, उत्तर प्रदेश।

2—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3—समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4—सचिव, विधान सभा / विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

जमील अहमद,

विशेष कार्याधिकारी।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या : 13/34/90–का–1/1996

लखनऊ, दिनांक : 23 फरवरी, 1996

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–4 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड) नियमावली, 1994 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड	4—विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम 6700 रु० या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड 4—विभागाध्यक्ष के पद पर विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिनके वेतनमान का अधिकतम 5700 रु० या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

कालिका प्रसाद,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 13/34/90–Ka-1/1996, dated February 23, 1996:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

KARMIK ANUBHAG–1

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 13/34/90-Ka-1/1996

Dated : Lucknow : February 23, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994.

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CRITERION FOR RECRUITMENT BY PROMOTION (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion (First Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force atonce.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, for existing rule 4 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely :—

	Column–1 Existing rule		Column–2 Rule as hereby substituted
Criterion for recruitment by promotion	4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 6700/- or above, shall be made on the basis of merit, and to rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.	Criterion for recuitment by promotion	4. Recruitment by promotion to the post of Head of Department, to a post just one rank below the Head of Department and to a post in any service carrying the pay scale the maximum of which is Rs. 5700/- or above shall be made on the basis of merit, and to the rest of the posts in all services to be filled by promotion, including a post where promotion is made from a non-gazetted post to a gazetted post or from one service to another service, shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit.

By Order,

KALIKA PRASAD

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०–4 सा० नियुक्ति–15-5-97—(373)—1997—5000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।